न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील संख्या– अपील डिक्री/टीए/4384/2004/जैसलमेर

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पोकरण, जिला जैसलमेर।

–अपीलांट

बनाम

बलवंतराम पुत्र लुम्बाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम खेतालाई, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।

–रेस्पोर्डेंट

खण्डपीठ

श्री सी0आर0मीणा, सदस्य

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री हनुमान प्रसाद कुनाडिया, उप राजकीय अभिभाषक।

श्री जी0 एस0 लखावत, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय

दिनांकः–15.11.2022

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा अपील संख्या 18/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–06–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2– अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत राज्य सरकार के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 421 रकबा 50 बीघा ग्राम खेतालाई तहसील पोकरण में स्थित है, जिस पर वादी पीढ़ियों से काबिज काश्त करते चले आ रहे है एवं आज भी उसका निरंतर कब्जा काश्त है एवं दिनांक 15.10.1955 को राज0काश्त0अधि0, 1955 प्रभाव में आने के समय से उसका कब्जा काश्त था, इस कारण उसको विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त वाद को उपखण्ड अधिकारी, पोकरण ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.1983 के द्वारा खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर वादी ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2004 के द्वारा वादी का दावा डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2004 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3– हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– अति0 राजकीय अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–06–2004 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। राजस्व अपील अधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वादी/रेस्पो0 का आराजी मुतनाजा पर कोई भौतिक कब्जा काश्त नहीं था एवं ना ही उसके द्वारा अपने कब्जे को सिद्ध करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। इस कारण परीक्षण न्यायालय ने

उसके दावे को सही रूप से खारिज किया था किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा रेस्पो0 के दावे को डिक्री करने में भूल की है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वादी/रेस्पो0 राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रभाव में आने की तिथि अर्थात् संवत् 2012 से अपने आपको कृषक की हैसियत से सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा है, इस कारण जब तक वह अपनी हैसियत टिनेन्ट की सिद्ध नहीं कर देता है, उसे खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं, किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी, ने इस कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर निर्णय प्रदान करने में भारी भूल की है। रेस्पो0/वादी द्वारा जो मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाहों के बयान करवाए थे, उन गवाहों द्वारा अपने बयानों में ऐसी कोई बात नहीं कही, जिससे कि यह सिद्ध होता हो कि वादी बतौर काश्तकार विवादित भूमि पर काबिज हो तथा वे सभी गवाह भूमि की पहचान तक नहीं बता पाए थे एवं ना ही आवश्यक बातों का खुलासा किया था। इस कारण ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। राजस्व अपील अधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार भी साक्ष्य होती है जैसा कि माननीय न्यायालय ने अपने निर्णयों में अंकित किया है, किन्तु वादी ने अपनी हैसियत साबित करने के लिए ऐसे गवाह के बयान नहीं करवाए जिससे सिद्ध हो कि राज0काश्त0अधि0,1955 के पूर्व जागीरदार द्वारा भूमि अप्रार्थी को काश्त हेतु दी हो एवं उक्त भूमि पर उसका कब्जा काश्त चला आ रहा हो। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पो0 का दावा निरस्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की थी इसके बावजूद प्रथम अपीलीय न्यायालयराजस्व अपील प्राधिकारी ने बिना किसी ठोस आधार के केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर रेस्पो0 का दावा डिक्री करने में भारी भूल की है। अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि

आराजी मुतनाजा राजकीय भूमि है एवं राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि दर्ज चली आ रही है एवं रेस्पो0 द्वारा सन् 1955 से दावा दायरी के दिन तक कोई उजरदारी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस कारण उसके द्वारा अब जो दावा प्रस्तुत किया गया है वह असाधारण देरी से प्रस्तुत किया गया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने सही रूप से निरस्त किया था किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0 के दावे को डिक्री करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2004 को निरस्त किया जावे तथा सहायक कलक्टर, पोकरण का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.1994 बहाल रखा जावें।

5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पीढ़ियों से रेस्पो. के कब्जे काश्त में चली आ रही है, किन्तु सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से यह भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज होने से रह गई। पूर्व में यह गांव पोकरण ठिकाना में आता था तथा जागीर के समय से विवादित आराजी का लगान अनाज के कुंता के आधार 1/6 हिस्सा लिया जाता था। इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मौखिक साक्ष्य एवं मौका स्थिति के आधार पर पुनः विवेचन कर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया गया था, मगर अधी0न्याया ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पूर्णतया पालना नहीं की है। वादी/वर्तमान रेस्पो. ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष समुचित साक्ष्य सबूत के आधार पर अपना दावा सिद्ध कर दिया गया था, मगर परीक्षण न्याया0 ने वादी/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विश्वास नहीं किए जाने का कोई कारण एवं आधार प्रकट नहीं किया। विवादित आराजी पर रेस्पो0 का पीढ़ियों से कब्जा चला आ रहा है। उसके पिता की खातेदारी की भूमि राज्य

सरकार द्वारा सेना विभाग की फील्ड फायरिंग रेंज हेतु अधिग्रहित की गई थी और मुआवजे के तहत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 1 (1) रेवेन्यु (बी)/67 दिनांक 19 जनवरी 1968 के अनुसार रेस्पो. ग्राम खेतोलाई के खसरा संख्या 421 रकबा 50 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। इस बाबत् रेस्पो0 द्वारा दस्तावेज रिकार्ड पर लेने बाबत् प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया था, किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में ग्रहण करने से इंकार कर दिया। रेस्पो. ने मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं अपने तथा गवाह अर्जुनराम, भीखाराम, हरचंद व इलमदीन के बयान करवाए तथा दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। मौखिक साक्ष्य में सभी गवाहों द्वारा विवादित आराजी पर रेस्पो. का कदीमी पुश्तैनी कब्जा काश्त होना जाहिर किया है। बहस में यह भी कथन किया कि धारा 8 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण कर वादी/रेस्पो0 का वाद डिकी किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया । विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा संपूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया ।

7– पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा गवाहान के साक्ष्य के आधार पर अपील स्वीकार की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर वादीगण का वाद डिक्री किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक 30.07.1990 में यह निर्देश दिए गए थे कि

‘‘That evidence consistent of two kinds, namely, oral or the documentary evidence, oral evidence is dealt in chapter (4) of the act 1872 and the documentary evidence has been mentioned in chapter (5) of the act 1872. Therefore, it is wrong to say that the matter cannot be decided on the basis of the oral evidence. It is a different matter that the oral evidence led by the petitioner may not be accepted by the trial court for good reasons, but to say that no documentary evidence has been led, therefore all the oral evidence is to be rejected and the decree passed by the competent Revenue Court is to be set aside, is wholly erroneous.’’

प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह विनिश्चय होना है कि विवादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त निरंतर रहा है तथा जिसकी पुष्टि वादीगण द्वारा अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से करायी गई है।

8– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् जिनका विवरण उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.09.1994 के पेज नंबर 5 में किया गया है। उनका अवलोकन अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किया जाना नहीं पाया जाता है। चूंकि जो रिकार्ड उपलब्ध है उसका परिशीलन कर यह अभिमत प्रकट करना अपेक्षित था कि वह वादी के वाद के क्रम में क्या स्थिति स्पष्ट करता है। इसी प्रकार गवाहान में मात्र तीन गवाह के बयान पर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि वादी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त पीढ़ियों से चला आ रहा है जबकि गवाह अर्जुनराम, भीखाराम, हरचंद एवं वादी बलवंत की उम्र क्रमशः 50 वर्ष, 42 वर्ष, 45 वर्ष एवं 55 वर्ष थी, जो कि दावा दायरी के समय अर्थात् जुलाई, 1982 को लगभग 20–25 वर्ष के होते हैं, जो पीढ़ियों से कब्जा

होने की बात की ताईद नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार गवाह हरचंद का जिरह में कथन है कि दावा दायरी से 5–6 वर्ष पूर्व कब्जा किया था। इसके अतिरिक्त वादी को पूर्व में 200 बीघा भूमि मिलना नामांतकरण संख्या 267 दिनांक 01.10.1982 से प्रमाणित है जबकि यह जमीन बतौर राजस्व रिकार्ड अलग–अलग नाम से चली आ रही है। उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी विद्वान राजस्व अपील अधिकारी द्वारा किया जाना पाया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आर0आर0डी0 2002 पेज 260 के अनुसार भूमि पैतृक होने की प्रविष्टि के अभाव में केवल मौखिक साख्य से भी अप्रमाणित प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का दावा नहीं लाया जा सकता है ।

9– सारांशतः विवादग्रस्त भूमि का मात्र कुछ समय पर अतिक्रमी रहा है, माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ के आर0आर0टी0 2021 पेज 67 में यह मत प्रकट किया है कि अतिक्रमी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार नहीं है । आर0आर0टी0 2021 (1) पेज 362 के अनुसार यह भी अभिनिर्धारित किया है कि राज्य के नाम की भूमि यानि रकबा राज की भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद नहीं लाया जा सकता है ।

10– दूसरा प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा बंदोबस्त के समय से कब्जे के आधार पर ही खातेदारी की घोषणा चाही है । इस मामलें में विभिन्न न्यायिक निर्णयों से यह स्पष्ट है कि बंदोबस्त के दौरान विभाग द्वारा किये गये संशोधनों के लिए ही घोषणा का वाद लाया जा सकता है । यदि दस्तावेजों में कोई संशोधन नहीं हुआ है तो कोई राहत नहीं दी जा सकती है । माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने आर0आर0टी0 2018 पेज 352 के अनुसार यह भी अभिनिर्धारित किया है कि खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईटस नहीं है, इसलिये इनके आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किए जा सकते है ।

11– परिणामत् अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा अपील संख्या 18/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2004 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, पोकरण द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.1994 को बहाल किया जाता है ।

10– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(सी0आर0मीणा)
सदस्य